न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 536 सन 2018
अनवान :–

1. हनुमान पुत्र स्व श्री पीथाराम जाति कुम्हार साकिन खीवासर तहसील व जिला चुरू हाल मिनकदेसर तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. रूपाराम 2 कालूराम 3 महादाराम पि0 आदुराम जाति कुम्हार निवासी खीवासर तहसील व जिला चुरू हाल मिनकदेसर तहसील नोहर।
4. परमेश्वरलाल पुत्र पीथाराम जाति कुम्हार निवासी खीवासर तहसील व जिला चुरू हाल मिनकदेसर तहसील नोहर।
5. रूकमणी देवी पत्नी पीथाराम जाति कुम्हार निवासी खीवासर तहसील व जिला चुरू हाल मिनकदेसर तहसील नोहर।
6. चावली पुत्री पीथाराम जाति कुम्हार निवासी खीवासर तहसील व जिला चुरू हाल मिनकदेसर तहसील नोहर।
7. भंवरी पुत्री पीथाराम जाति कुम्हार निवासी खीवासर तहसील व जिला चुरू हाल मिनकदेसर तहसील नोहर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

अर्जीदावा इश्तकरार हक स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 24.12.18

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, आरटीएक्ट इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा मिनकदेसर के साबिका खसरा न0 25 हाल खसरा न0 254 की 25.00 बीधा भूमि स्थित है जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 व 6 ,7 के दादा व प्रतिवादी संख्या – 5 के ससुर तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता आदुराम पुत्र गणपतराम जाति कुम्हार की स्वअर्जित एवं नोताड करदा भूमि है जो पूर्व में उन्होने बजड से नोतोड की थी तथा आजीवन उनके कब्जा काश्त में रही है।

उक्त भूमि रोही मौजा मिनकदेसर के खाता संख्या 271/236 के खसरा न0 254 की 16 बीधा भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 व 6 ता 7 के पिता व प्रतिवादी सख्या 5 के पति पीथाराम वल्द आदुराम फोत हो चुके है। तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 , 6 ता 7 की दादी व बूआ प्रतिवादी संख्या 5 की सास व ननदों ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की माता व बहनों ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 ने अपना हक हिस्सा पीथाराम के मृत्यू के समय अपने हक हिस्सा का त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी सख्या 4 सयुक्त तौर से 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक 1/4 ,1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है ।

रोही मौजा मिनकदेसर के खसरा न0 254 की 25.00 बीधा भूमि में से 9.00 बीधा भूमि तो वादी के पिता व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज कर दिया गया परन्तु

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कब्जा काश्त में बदस्तुर चली आ रही है जिसके जायज व कानूनी तौर से वादी एवं प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय जो भूमि जिसके कब्जा काश्त में थी वह उस भूमि का खातेदार काश्तकार हो गया था किन्तु सहवन से वादी को खातेदार के स्थान पर गैरखातेदार दर्ज कर दिया गया इसलिये वादी वाद भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने का अधिकारी हे वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेराकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान उपनिवेशन क्षेत्र में आती है वादी उपनिवेशन नियमों के अधीन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है अन्य किसी प्रकार को ऐतराज पेश नही किया गया है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार जमाबन्दी /गिरदावरी सम्वत 2012– 2015 में वादी के पिता आदुराम पुत्र गणपतराम बतौर काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इसी प्रकार आगामी जमाबन्दीयों/गिरदावरीयों में भी आदुराम पुत्र गणपत बतौर काश्तकार दर्ज है भू0प्रबन्ध विभाग के द्वारा सम्वत 2029 से 2038 तक पैमाईश के दौरान साबिका खसरा नम्बरो हाल खसरा नम्बरों में परिर्वतन किया जाकर पैमुद किये गये थें ।

रोही मौजा मिनकदेसर के साबिका खसरा न0 25 की 25.00 बीधा भूमि जो आदुराम पुत्र गणपतराम जाति कुम्हार के कब्जा काश्त में थी को भी हाल खसरा नम्बर में परिर्वतन किया जाकर साबिका खसरा न0 25 की 25.00 बीधा भूमि के हाल खसरा न0 254 की 25.00 बीधा में पैमुद किये जाकर जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 तेयार की गई थी जो भू0प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी से पूर्णत्या साबित है तथा उक्त जमाबन्दीयों/गिरदावरीयों के सम्बध में पेरोकार राज को भी किसी प्रकार का ऐतराज पेश नही किया है अर्थात आदुराम पुत्र गणपतराम को सम्वत 2012 से सम्वत 2038 तक वाद भूमि कब्जा काश्त में होना स्वीकार किया गया है।

दिनांक 15.10.1955 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनितय की धारा 15 में यह प्रावधान किया गया की जो भी काश्तकार दिनांक 15. 10.1955 को जिस भूमि को काश्त करता आ रहा है उसे उस भूमि का खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे। अर्थात सम्वत 2012 से 2015 की जमाबन्दी में बतौर काश्तकार दर्ज था उसे उस भूमि को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे।

आदुराम पुत्र गणपतराम जो सम्वत 2012 से 2015 की जमाबन्दी/गिरदावरी के अनुसार बतौर काश्तकार दर्ज था उसे भी राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना था आदुराम पुत्र गणपतराम के कब्जा काश्त की साबिका खसरा न0 25 हाल खसरा न0 254 की 25.00 बीधा में से 9.00 बीधा भूमि को बतोर खातेदार दर्ज भी कर दिया गया किन्तु सहवन से वाद भूमि खातेदारी दर्ज नही की जा सकी जिसे अब भी उक्त अधिनियम के ताबे बतौर खातेदार दर्ज करवाने का अधिकारी है।

भु0 प्रबन्ध विभाग के द्वारा रोही मौजा मिनकदेसर की पैमाईश की जाकर साबिका खसरा ने हाल खसरो में पमुद किया जाकर मिलान क्षेत्रफल तैयार किया गया था। भू0 प्रबन्ध विभाग के मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2029 से 2038 के अनुसार आदुराम पुत्र गणपतराम के कब्जा काश्त की भूमि के साबिका खसरा न0 25 की 25.00 बीधा को हाल खसरा न0 245 की 25.00 बीधा में परिर्वतन व पैमुद किया गया था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के तहत आदुराम पुत्र गणपतराम के कब्जा काश्त की भूमि साबिका खसरा न0 25 की 25.00 बीधा को हाल खसरा न0 254 की 25.00 बीधा में परिर्वतन किया जाकर खसरा न0 254 की 9.00 बीधा भूमि को बतौर खातेदार आदुराम पुत्र गणपतराम के नाम से दर्ज कर दी व शेष भूमि आदुराम पुत्र गणपतराम के नाम बतौर गैर खातेदारी दर्ज कर दी जबकि भू0प्रबन्ध विभाग का दायित्व था की या तो वह समस्त भूमि को खातेदार दर्ज करता या गैरखातेदार आशिंक भूमि गैरखातेदार

शेष 16.00 बीधा भूमि उनके गेरखातेदार दर्ज कर दी जबकि सम्वत 2012 से लेकर उक्त भूमि कब्जा काश्त में बदस्तुर चली आ रही है जिसके जायज व कानूनी तौर से वादी एवं प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार है।

वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में खातेदार के स्थान पर गैरखातेदार दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है तथा राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाऐ प्राप्त नही हो रही है जैसे कृषि भूमि ऋण व खाद बीज की सब्सीडी फब्वारा संयत्र सौर उर्जा संयत्र व अन्य कृषि सम्बधी सुविधाए प्राप्त नही हो रही है इसलिये वादी गैरखातेदारी के स्थान खातेदारी दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा मिनकदेसर के खाता संख्या 271/236 के खसरा न0 254 मीन की 16.00 बीधा भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 सयुक्त व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक बहिब अर्थात वादी व प्रतिवादी संख्या 4 का 1/4 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में आदुराम पुत्र गणपतराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद उनके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई थी एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे काश्तकार नियमों में बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल है।

प्रतिवादी संख्या 8 पेरोकार राज न्यायालय में उपस्थित होकर जबाब पेश किया की वाद भूमि वर्तमान उपनिवेशन क्षेत्र में आती है वादी उपनिवेशन नियमों के अधीन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे वाद में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की रोही मौजा मिनकदेसर के साबिका खसरा न0 25 हाल खसरा न0 254 की 25.00 बीधा भूमि स्थित है जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 व 6 ,7 के दादा व प्रतिवादी संख्या – 5 के ससुर तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता आदुराम पुत्र गणपतराम जाति कुम्हार की स्वअर्जित एवं नोताड करदा भूमि है जो पूर्व में उन्होने बजड से नोतोड की थी तथा आजीवन उनके कब्जा काश्त में रही हे।

उक्त भूमि रोही मौजा मिनकदेसर के खाता संख्या 271/236 के खसरा न0 254 की 16 बीधा भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 व 6 ता 7 के पिता व प्रतिवादी सख्या 5 के पति पीथाराम वल्द आदुराम फोत हो चुके है। तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 , 6 ता 7 की दादी व बूआ प्रतिवादी संख्या 5 की सास व ननदों ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की माता व बहनों ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 ने अपना हक हिस्सा पीथाराम के मृत्यू के समय अपने हक हिस्सा का त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 सयुक्त तौर से 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक 1/4 ,1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है ।

रोही मौजा मिनकदेसर के खसरा न0 254 की 25.00 बीधा भूमि में से 9.00 बीधा भूमि तो वादी के पिता व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज कर दिया गया परन्तु शेष 16.00 बीधा भूमि उनके गेरखातेदार दर्ज कर दी जबकि सम्वत 2012 से लेकर उक्त भूमि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दर्ज करने का कोई औचित्य नही था हो सकता है राजस्व रिकार्ड संधारण करते समय वाद भूमि सहवन से खातेदार दर्ज नही किया जा सका जिसे राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 15 के तहत आदुराम पुत्र गणपतराम या उसनके वारिसान बतौर खाातेदार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। सम्वत 2012 से 2015 की जमाबन्दी में यदि काश्तकार दर्ज है जो वर्तमान में खातेदार काश्तकार के तौर पर दर्ज नही किया जा सका है वह आज भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के तहत खातेदार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है सहवन से खातेदार दर्ज नही होने से काश्तकार के अधिकार समाप्त नही हो सकते है।

आदुराम पुत्र गणपत के देहान्त होने के बाद जायज वारिस वादी व प्रतिवादीगण स0 1 ता 7 ही है जिसके सम्बध में किसी प्रकार का कोई उज्र व ऐतराज भी पेश नही हुआ है वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर राजीनामा पेश किया जाकर निवेदन किया गया है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही हैं

अतः सम्वत 2012 से 2015 से लगातार वाद भूमि पूर्व में आदुराम पुत्र गणपतराम जाति कुम्हार के कब्जा काश्त में रहने व आदुराम पुत्र गणपत के देहान्त होने के बाद उसके जायज वारिसों वादी एवं प्रतिवादी सख्या 1 ता 4 के कब्जा काश्त में होने के कारण व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के तहत बतौर खातेदार दर्ज करवाने का अधिकारी पाये जाने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मिनकदेसर के खाता संख्या 271/236 के खसरा न0 254 मीन की 16.00 बीधा भूमि जो सहवन से पूर्व में खातेदारी दर्ज नही हो सकी थी के वादी व प्रतिवादी संख्या 4 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार जमाबन्दी सशोधन की जाकर उक्तानुसार भूमि दर्ज की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पर्चा डिक्री जारी कि जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 24.12.15 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

(सैयद शीराज अली जैदी)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Web Copy Not Official